149

न्यायालय माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू ग्वालियर कैंप भोपाल (म0प्र0)

प्र0क्रं0 /2016 निगरानी

श्रीमती सावित्री बाई पत्नि श्री लाखाराम गुर्जर पुत्र श्री ख्यालीराम नि.ग्राम बंडवा तेह. गुलाबगंज जिला विदिशा (म0प्र0)

———निगरानीकर्ता

—बनाम—

विजयकुमार अग्रवाल पुत्र श्री विमलकुमार अग्रवाल नि. अरिहंत विहार कॉलोनी कॉलोनी (म0प्र0)

———प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.विरूद्व आदेश दिनांक 23.02.16 प्र.क.66/अ—6/14—15 विजय कुमार अग्रवाल —बनाम—सावित्रीबाई न्यायालय तेहसीलदार तेहसील—गुलाबगंज जिला— विदिशा (म0प्र0)

माननीय महोदय्

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है—

यह कि प्रतिप्रार्थी/आवेदक विजयकुमार अग्रवाल ने अधि.तेहसील न्यायालय गुलाबगंज में निगरानीकर्ता/अनावेदक श्रीमती सावित्रीबाई के विरूद्व एक आवेदन अन्तर्गत धारा 109—110 म.प्र.भू.रां.स. के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि " आवेदक के द्वारा ग्राम बंडवा तेह. गंलाबगंज प.ह.न.32 जिला विदिशा स्थित आराजी कमांक 239/3 रकवा 2.497 है से बच रकवा 1.870 है.भूमि को उसके पूर्व भूमिस्वामी अनावेदक सावित्रीबाई से पूर्ण प्रतिफल के बदले रजि.विकयपत्र दि.08.06.15 को कय करके मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त भूमि पर आवेदक का नामांतरण किये जाने की प्रार्थना की।

यह कि दिनांक 25.06.15 को निगरानीकर्ता/अनावेदक ने तेहसील न्यायालय में इस आशय की आपत्ती पेश की दि प्रार्थिया के स्वत्व व आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम बंडना सर्वे नं.239/3 करवा 2.497 हेक्टर में से रकवा 1.881 हैक्टर का विजय अग्रवाल को विकयपत्र निष्पादित किया गया था। विकयपत्र निष्पादित कराते समय केता विजय अग्रवाल कहने लगे कि विकय राशि विदिशा में चलकर नगद दे देगें। यहॉ से तुम्हे पैसा ले जाने में परेशानी होगी। वियज कुमार की बात पर विश्वास कर सब रजिस्ट्रार के समक्ष पैसा प्राप्त करने वाली बात कह दी फिर विजय अग्रवाल ने विदिशा आकर उक्त राशि आज तक नही दि और टालमटूल कर रहा है। इसलिये उक्त भूमि पर विजय कुमार अग्रवाल का नामांतरण न किया जावें।

यह कि इसके उपरांत विजय कुमार ने निगरानीकर्ता/अनावेदिका की आपत्ती का गलत जबाव पेश किया। अधि. न्यायाल ने निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत उक्त

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1258–एक/16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–5–16	प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं आवेदक अधिवकता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर नामांतरण का है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदिका की पुत्रियों को पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उनका वादग्रस्त भूमि पर नाम दर्ज नहीं है तथा उनके द्वारा भूमि विकय किए जाने के पूर्व अपने स्वत्व के लिए कोई दावा पेश नहीं किया गया है वह अपनी मां की संपत्ति में अपना स्वत्व घोषित कराने के लिए वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है साथ ही यह भी पाया है कि राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विकयपत्र की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार नहीं है यह अधिकार व्यवहार न्यायालय को है और अनावेदक पक्ष इस न्यायालय में आवेदक चाहे तो उपरोक्त संबंध में व्यवहार न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश में प्रथमदृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	